

12 April The Hindu

'Deep regret' is simply not good enough

संदर्भ-

- कोई भी सभ्य समाज अपने इतिहास के पुनर्मूल्यांकन द्वारा अपने वर्तमान और भविष्य के विकास क्रम को आगे बढ़ाता है तथा अपनी गलतियों से सबक लेकर सुधार की गुंजाइशें निकालता है।
- 13 अप्रैल 2019 को जलियावाला बाग हत्याकांड के सौ वर्ष पूरे होने पर इंग्लैण्ड की संसद में ब्रिटिश प्रधानमंत्री 'टेरिजा मे' ने ब्रिटिश जनता की तरफ से इस अमानवीय कृत्य के लिए दुःख प्रकट किया और कहा कि यह हत्याकांड अत्यंत ही मार्मिक और अशोभनीय था। हालांकि इस घटना के लिए ब्रिटिश राज की ओर माफी नहीं मांगी।
- वहीं पर इंग्लैण्ड की संसद में मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता (जेरेमी कॉर्बिन) ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री से खेद जताने से आगे बढ़ने और भारतवासीयों से स्पष्ट तथा विस्तृत माफी मांगने की मांग रखी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- 9 अप्रैल को, राष्ट्रवादी नेताओं सैफुद्दीन किचलु और डा. सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से हजारों भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया और वे 10 अप्रैल, 1919 को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने तथा अपने नेताओं डा. सत्यपाल व डा. किचलू को पंजाब से बाहर भेजे जाने का विरोध कर रहे थे।
- 13 अप्रैल (बैसाखी के दिन) को, लोग बैसाखी मनाने के लिए शहर के लोकप्रिय स्थान जलियावाला बाग में इकट्ठे हुए, जो जनरल डायर की घोषणा से अनजान थे।
- स्थानीय नेताओं ने भी इसी स्थान पर एक विरोध सभा का आयोजन किया। त्यौहार के आयोजन के बीच विरोध-प्रदर्शन बैठक भी शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, जिसमें दो प्रस्ताव-रौलेट अधिनियम की समाप्ति और 10 अप्रैल की गोलीबारी की निंदा-पारित किए गए।
- जनरल डायर ने इस सभा के आयोजन को सरकारी आदेश की अवहेलना समझा तथा सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ घेर लिया। डायर ने बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। सभा स्थल के सभी निकास मार्गों के सैनिकों द्वारा घिरे होने के कारण सभा में सम्मिलित निहत्थे लोग चारों ओर से गोलियों से छलनी होते रहे।
- इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे गये, जिसमें युवा, महिलायें, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे। जलियावाला बाग हत्याकांड से पूरा देश स्तब्ध रह गया। बहशी क्रूरता ने देश का मौन कर दिया। पूरे देश में बर्बर हत्याकांड की भर्त्सना की गयी।
- रवीन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध स्वरूप अपनी 'नाइटहुड' की उपाधि त्याग दी तथा शंकरराम नागर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्यागपत्र दे दिया।
- जलियावाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी **उधम सिंह** द्वारा इंग्लैण्ड जा कर पंजाब के तात्कालीन गवर्नर जनरल ओ ड्वायर की हत्या कर दी थी।

हंटर आयोग

- भारत सचिव एडविन मांटैग्यू ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया। इसलिए, 14 अक्टूबर, 1919 को भारत सरकार ने डिस्ऑर्डर इन्क्वायरी कमेटी, जिसे लोकप्रिय एवं व्यापक तौर पर हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें तीन भारतीय शामिल थे।
- 1920 में इस आयोग ने रिपोर्ट दी जिसमें निष्पक्ष रूप से डायर के कृत्य की निंदा की रिपोर्ट में कहा गया कि बाग में भीड़ को हटाने की कार्यवाही न करना एक भूल थी। डायर का कृत्य अमानवीय व ब्रिटिश परंपरा के विरुद्ध था।

Closed Road

- फरवरी में हुई पुलवामा की घटना के बाद गंभीरता से विचार किया जाने लगा कि जब सेना और अर्धसैनिक बलों का काफिला गुजर रहा हो, तो उसकी सुरक्षा के क्या इंतजाम होने चाहिए। इसी के मद्देनजर जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग पर हफ्ते में दो दिन सामान्य नागरिकों की आवाजाही पर दिन में बारह घंटे पाबंदी लगाने का फैसला किया गया।
- हालांकि यह नियम पहले से लागू है कि जब सेना या अर्धसैनिक बलों का काफिला गुजर रहा हो, तो उस समय सामान्य नागरिक वाहनोंको रोक दिया जाता है।
- हालांकि वकीलों, पर्यटकों, विद्यार्थियों, सरकारी अधिकारियों, मेडिकल इमरजेंसिज डॉक्टर के लिए छूट है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग-44, 271 कि.मी. की सीमा जो जम्मू में उदमपुर से लेकर-कश्मीर में बारामूला तक है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग 44 - को जम्मू-कश्मीर की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे शिक्षण संस्थान चिकित्सकीय संस्थान यहां स्थापित हैं।
- सुरक्षा बलों के काफिले की सुरक्षा को लेकर कई तरह के उपायो पर विचार चल रहा है। एक विचार यह भी था कि अर्धसैनिक बलों के सिपाहियों को सड़क मार्ग से भेजने के बजाय हवाई मार्ग से भेजा जाना चाहिए। मगर चूंकि यह मामला सिर्फ सैनिकों की आवाजाही का नहीं है। जम्मू और कश्मीर के बीच सुरक्षा बलों को अपनी अनेक जरूरतों के लिए सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है। इसमें रसद आपूर्ति भी शामिल है।
- यह सही है कि हफ्ते में दो दिन बारह-बारह घंटे के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से आम वाहनों के गुजरने पर रोक होने से सामान्य नागरिकों को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा लेकिन स्थानीय लोग कम ही होते हैं, जिन्हें हर रोज राष्ट्रीय राजमार्ग से लंबी दूरी का सफर तय करना पड़ता है छोटी दूरी तक आने-जाने के लिए दूसरे रास्ते भी हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है फिर जिन्हें किसी तरह की आकस्मिक जरूरत है, उनके लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, वे उनसे अनुमति लेकर आ जा सकते हैं। इस पर जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों को क्यों एतराज होना चाहिए।

आदर्श कुमार समिति

- नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एनजीटी द्वारा केंद्रीय निगरानी कमेटी गठित की गई।
- यह समिति देश भर में फैली 350 से अधिक नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक योजना तैयार करेगी, क्योंकि नदियों के प्रदूषण से पानी और पर्यावरण की सुरक्षा को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।
- इस कमेटी में नीति आयोग के प्रतिनिधि, जल संसाधन, शहरी विकास और पर्यावरण मंत्रालयों के सचिव, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान के महानिदेशक और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन शामिल होंगे।
- केंद्रीय निगरानी कमेटी राज्यों की नदी कमेटियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्ययोजना के क्रियान्वयन का निगरानी करेगी।
- कमेटी कार्ययोजना की समयसीमा, बजट की व्यवस्था और अन्य पहलुओं पर भी निगरानी रखेगी। राज्य स्तर पर राज्यों के मुख्य सचिव नोडल अधिकारी होंगे।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

- संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 2019 के बीच भारत की जनसंख्या 1.2 फीसद की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 1.36 अरब हो गई है जो चीन की वार्षिक वृद्धि दर के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा है।
- 2019 में भारत की जनसंख्या 1.36 अरब पहुंच गई है जो 1994 में 94.22 करोड़ और 1969 में 54.15 करोड़ थी।
- विश्व की जनसंख्या 2019 में बढ़कर 771.5 करोड़ हो गई है जो पिछले साल 763.3 करोड़ थी।
- भारत ने जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में सुधार दर्ज किया है। 1969 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 47 वर्ष थी जो 1994 में 60 वर्ष और 2019 में 69 वर्ष हो गई है।
- विश्व की औसत जीवन प्रत्याशा दर 72 साल है रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 1994 में प्रति 1,00,000 जन्मों में 488 मौतों से घटकर 2015 में प्रति 1,00,000 जन्मों में 174 मृत्यु तक आ गई।